फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

किशोर बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा- प्रा0 पत्र अ0धा0 128 एल0 आर0 एक्ट मु0न0- 63 / 2023

पीठासीन अधिकारी- डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
21.02.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अ0धा0 128 एल0 आर0 एक्ट सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुए कथन किया कि भूमि खाता सख्या नया 40 पुराना 33 के आराजी खसरा नम्बर 365, 368 वाके रामा देवरी तह0 बहरावण्डा जिला दौसा मे स्थित है जिसकी खातेदारी जमाबदी वर्तमान सवत 2073 से 2076 मे प्रार्थीगण के नाम दर्ज एव राजस्व रिकॉर्ड चली आ रही है प्रार्थीगण उक्त आराजीयात के खातेदार काबिज काश्तकार है तथा मौके पर प्रार्थीगण काबिज होकर लाभान्वित होता चला आ रहा है। यह है कि पडोसी खातेदार प्रार्थीगण की भूमि को दबाना चाहते है एव सीमा विवाद करते रहते है इसलिए प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 365 की पत्थरगढी कायम करने के आदेश प्रदान किए जावे। उक्त खसरा नम्बर 365 का सीमाज्ञान तहसीलदार बहरावण्डा के आदेश से दिनाक 23.06.2022 को किया जा चुका है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। बहस प्रार्थना पत्र का मनन किया गया । पत्रावली एव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रश्नगत भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है जिसका सीमाज्ञान तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा किया जा चुका है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अत प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अ0धा0 128 एल0 आर0 एक्ट स्वीकार कर तहसीलदार बहरावण्डा को आदेशित किया जाता है कि भूमि खसरा नम्बर 365 रकबा 0.9100 है0 वाके ग्राम देवरी तह0 बहरावण्डा जिला दौसा की पत्थरगढी कायम करे। तहसीलदार बहरावण्डा उपरोक्तानुसार पत्थरगढी कायम करे। तहसीलदार बहरावण्डा को पालना हेतु तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 21.02.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	